अनुस्मारक/अति महत्वपूर्ण/फैक्स

संख्या– 318/सत्तर–3–2015–उ0शि0आ0 (10)/2014

प्रेषक,

मधु जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2015

विषयः– असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–94/सत्तर–3–2015–उ0शि0आ0 (10)/2014, दिनांक–20.01.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के सुचारू संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय एवं चतुर्थ चरण में यह परीक्षा दिनांक **14.02.2015 एवं 15.03.2015** को **अपरान्ह्न 02.30 बजे से अपराह्न 04.30 बजे तक** सम्पन्न होगी। उक्त परीक्षा को सुचारू रूप से तथा शान्तिपूर्ण ढंग से संचालित किये जाने हेतु कृपया निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:–

(1) जनपद के जिलाधिकारी उक्त परीक्षा के जनपद प्रभारी होंगे। इस कार्य में सहायता हेतु उनके द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जायेंगे और इसकी सूचना उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को तत्काल दी जायेगी।

(2) जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बस स्टेशनों/रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं ट्रैफिक नियंत्रण के कुशल संचालन हेतु सम्यक् व्यवस्था की जायेगी।

(3) परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में धारा–144 सी0आर0पी0सी0 लागू की जायेगी।

(4) जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले तत्वों/संस्थाओं पर कड़ी निगाह रखी जाये एवं ऐसे समस्त तत्वों के विरूद्ध आवश्यक निरोधक विधिक कार्यवाही की जाये तथा संवेदनशील स्थानों की सघन जॉच भी करायी जाये। उक्त परीक्षा की गोपनीयता एवं गरिमा को बनाये रखने हेतु अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रश्नपत्रों को सुरक्षित परीक्षा केन्द्रों पर पहुचाने, परीक्षा केन्द्रों पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात् परीक्षा सामग्री सेक्टर अधिकारी तक पहुॅचाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना, आयोजक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु राजपत्रित अधिकारी को केन्द्र प्रभारी नियुक्त करेंगे।

(7) उक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु प्रश्नपत्रों ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रकों तथा जॉच पत्र जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी एवं नोडल अधिकारी की देख–रेख में कोषागार (डबल लॉक) में रखे जायेंगे।

(8) जिलाधिकारी द्वारा नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व होगा कि वे कोषागार से प्रश्नपत्र, ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तथा जॉच पत्र केन्द्र प्रभारी को परीक्षा के दिन प्रातः 01.30 बजे उपलब्ध करायेंगे।

(9) परीक्षा समाप्ति के पश्चात् केन्द्र प्रभारी कोषागार से परीक्षा केन्द्र को प्राप्त करायी गयी सामग्री नोडल सेन्टर को उपलबध करायेंगे जहॉ से समस्त सामग्री सन्बन्धित नोडल अधिकारी दो सशस्त्र गार्ड के साथ **दिनांक 14.02.2015 एवं 15.03.2015** को अध्यक्ष, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को प्राप्त करा दी जायेगी।

(10) परीक्षा संचालन के समय परीक्षा केन्द्रों का वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित सचल दलों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाये।

(11) परीक्षा के दिवस में परीक्षा केन्द्रों के समीपस्थ विद्यमान सभी फोटो स्टेट व तत्प्रकार के अन्य कार्यो से संबन्धित सेंटर/दुकानों को बन्द रखा जाये।

(12) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को जांचने हेतु नामित एजेंसी को उपलब्ध कराने के पूर्व उसकी स्कैनिंग जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करायी जायेगी तथा स्कैन्ड ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की एक प्रति अनिवार्य रूप से डबल लॉक में अग्रिम आदेशों तक रखी जायेगी।

भवदीया,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-- 318 (1)/सत्तर-3-2015-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र।
3- अध्यक्ष, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
4- सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा को सुचारू रूप से तथा शान्ति पूर्ण ढंग से संचालित किये जाने हेतु इस शासनादेश में उल्लिखित किये गये विभिन्न निर्देशों पर जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक के साथ समन्वय स्थापित करते हुये अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 विभागीय मंत्री जी के रूप में अवगतार्थ।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ ।
7- प्रमुख सचिव, गृह विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त परीक्षा के सुचारू रूप संचालन हेतु परिधिगत अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
8- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
9- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
10- वेब मास्टर, उच्च शिक्षा विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

उप सचिव UPSHESC ...